

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला स्थापना शाखा)

--:आदेश:-

प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 02/आवंटन/रा0, दिनांक- 06.05.2014 के आलोक में बजट शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-00-094 अन्य स्थापना-0008 राजभाषा मांग संख्या-04 विपत्र कोड N-2053000940008 गैर योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष- 2014-15 के प्रथम चौमाही में व्यय हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्न प्रकार उपावंटित किया जाता है:-

| क्र० | उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का पदनाम | वेतन 0101 | जी०या०भ० 0103 | आवास भत्ता 1104 | चि०भ० 0106 | कार्या० व्यय 1301 | व्यवसायिक एवं वि० सेवाएँ 2801 | कुल योग |
|--------|--|--------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 |
| 01. | अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा | 160000 | 160000 | 16000 | 1600 | 1000 | 150 | 337950 |
| 02. | प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज | 80000 | 80000 | 8000 | 800 | 00 | 00 | 168800 |
| 03. | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सिंहेश्वर | 80000 | 80000 | 8000 | 800 | 00 | 00 | 168800 |
| 04. | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आलमनगर | 80000 | 80000 | 8000 | 800 | 00 | 00 | 168800 |
| 05. | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चौसा | 80000 | 80000 | 8000 | 800 | 00 | 00 | 168800 |
| 06. | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कुमारखण्ड | 160000 | 160000 | 16000 | 1600 | 00 | 00 | 336800 |
| 07. | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उदाकिशुनगंज | 80000 | 80000 | 8000 | 800 | 00 | 00 | 168800 |
| 08. | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मधेपुरा | 80000 | 80000 | 8000 | 800 | 00 | 00 | 168800 |
| कुलयोग | | 800000 | 800000 | 80000 | 8000 | 1000 | 150 | 1689150 |

मो०- सोलह लाख नवासी हजार एक सौ पचास रुपये मात्र।

- संबंधित आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक- 2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।
- यह राशि मुख्य शीर्ष N-2053000940008 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2014-15 में विकल्पनीय होगा।
- संगत वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत उपावंटित राशि का नियमानुकूल व्यय संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- वित्त विभाग के पत्रांक-400/वि०, दिनांक-16.05.2004 के आलोक में यदि वेतन मद की किसी उप इकाई में राशि का आवंटन आवश्यकता से कम हुआ है तो उक्त मद की राशि की पूर्ति वेतन /वेतन मद की किसी दूसरी उप इकाई में आवंटित राशि से की जा सकती है।
- व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- उपावंटित राशि का विचलन कर अन्य मदों में कदापि व्यय नहीं किया जाय।
- इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

30/
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक-368-2/स्था०, मधेपुरा, दिनांक-22 मई 2014

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज/सिंहेश्वर/आलमनगर/चौसा/कुमारखण्ड/उदाकिशुनगंज/
मधेपुरा एवं कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/05/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।